

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 62/15 अ0फो0

नटवरसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया आयु 28
जाति भदौरिया ठाकुर निवासी ग्राम हरीक्षा तहसील
मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

----- अपीलान्त

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा

-----रिस्पोण्डेंट

आरोपी/अपीलार्थी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
राज्य शासन द्वारा ए0पी0पी0 श्री दीवानसिंह गुर्जर ।

न्यायालय श्री मनीश शर्मा, जे0एम0एफ0सी0 गोहद द्वारा दाण्डिक
प्रकरण क्रमांक 652/2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 3-1-2011
से उत्पन्न दाण्डिक अपील ।

—:: नि र्ण य ::—

// आज दिनांक 27.02.2015 को खुले न्यायालय में घोषित //

1— अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा 374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री मनीश शर्मा द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 652/06 निर्णय दिनांक 3-1-11 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा 341,294 के अपराध में दोषमुक्त किया गया है एवं आरोपी/अपीलार्थी को धारा 323 भा0द0सं0 के अपराध में एक माह के सश्रम कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2— अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 27-8-04 को जब भूपेन्द्र जैन गोहद चौराहा पर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तब तीनों आरोपीगण आये और एक व्यक्ति बंदूक लिये था व उन्होंने कुछ सामान दुकान से मांगा, सामान देने पर जब पैसे मांगे तो तीनों लोगों ने मादरचोद बनिया वाले रुपये मांगता है और बंदूक तान दी । एक ने कनपटी पर थप्पड़ मारे, जब उसके

पिता बचाने आये तो दोनों ने पकड़कर उसके पिताजी की भी मारपीट की, जब वह थाने की ओर जाने लगा तो रास्ता रोक लिया । रमेश सिंह व भाई प्रवीण जैन आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया । आरोपियों के नाम के संबंध में बंदूक वाले का नाम अरिमर्दन था और उसके साथ प्रदीप व नटवर थे जिन्होंने शराब के लिए पैसे मांगे । जो अपराध क्रमांक 118/04 पर पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी को धारा 341,294,327 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इन्कार किया, उसका विचारण किया गया विचारोपरान्त आरोपी को धारा 341, 294 भा0द0वि0 के अपराध में दोषमुक्त किया गया आरोपी को धारा 327 भा0द0वि0 के आरोप से दोष मुक्त करते हुये उसे धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये एक माह के सश्रम कारावास एवं दो सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था । जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किये गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि साक्षीगण की साक्ष्य संपूर्ण रूप से त्यक्त करने योग्य थी क्योंकि उनकी साक्ष्य किस प्रकार से गुथी हुई है उसे अन्य अपराध के संबंध में सेपरेट नहीं किया जा सकता है, फिर भी उसी साक्ष्य को विधिक उपबंधो व साक्ष्य के सिद्धांतों के विपरीत धारा 323 भा0द0वि0 में विश्वसनीय मानकर गंभीर त्रुटि की है । भूपेन्द्र सिंह एवं गुलाब सिंह के चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं कराये गये हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है । किसी चिकित्सक का भी परीक्षण नहीं कराया गया । अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास होने अभियोजन कहानी को प्रमाणित नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षीगण के कथनों पर विश्वास किया है और उक्त विरोधाभासों को नजर अंदाज करते हुये आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गयी है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचना अधिकारी का कोई कथन नहीं कराया है । अभियोजन साक्षी क्रं01 लगायत 3 आपस में हितबद्ध साक्षी होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं । घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है । अभियोजन कहानी शंकास्पद है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धान्तों को अनदेखा करते हुये निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि घटना में आहतगण को अत्यन्त साधारण स्वरूप की चोट आई है और आरोपी/अपीलार्थीगण पर्याप्त समय से अभियोजन का समर्थन कर रहा है और उन्हें उचित सबक मिल चुका है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये

कारावास का दण्ड अपास्त कर किये गये जुमाने से ही दण्डित कर छोड़ दिया जाये जिसका भी विद्वान ए0पी0पी0 ने विरोध किया कि घटना में तीन आहत हुये हैं इसलिये दण्डाज्ञा यथावत रखी जाये ।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है:-

- 1-क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?
- 2-क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

// निष्कर्ष के आधार //

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं साक्षियों के कथनों को देखा गया ।

8. अभियोजन साक्षी भूपेन्द्र जैन अ0सा01 के द्वारा जो कि घटना का रिपोर्टकर्ता भी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 प्रमाणित की गयी है । उक्त साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि आरोपी अरिमर्दन व नटबर के द्वारा लात घूसों एवं मुक्कों से उसके साथ मारपीट की गयी । उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बिन्दु पर उसके साक्ष्य कथन का जहां तक प्रश्न है । इस संबंध में कोई विपरीत अवधारणा करने का कोई आधार नहीं है । इस प्रकार साक्षी के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को उसके साथ मारपीट की घटना हुयी है जिसमें कि वर्तमान विचारित किया जा रहा आरोपी भी था और उसके साथ मारपीट की उक्त घटना में भाग लिया गया है ।

9. फरियादी भूपेन्द्र जैन के कथन की पुष्टि साक्षी गुलाबचन्द्र जैन अ0सा02 के कथन से भी होती है जिसके द्वारा भी आरोपी के द्वारा उसके एवं उसके लडके भूपेन्द्र जैन के साथ मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया है उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है । साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना में लिप्त किया जा रहा हो या उसके विरुद्ध झूठी साक्ष्य दी जा रही हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है ।

10. प्रवीण जैन अ0सा03 के द्वारा भी आरोपी अरिमर्दन एवं उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा घटना दिनांक को भूपेन्द्र जैन व गुलाबचन्द्र के साथ मारपीट करने के संबंध में बताया है । जो कि आरोपी अरिमर्दन तथा अन्य आरोपी प्रदीप व नटवर को जानना पहचानना बताते हुये यह बताया है कि उसके भाई भूपेन्द्र को उनके द्वारा पटककर मारपीट की गयी जिसमें कि उसके पिता के द्वारा बीच बचाव किया गया था तथा उसके पिता को भी चोटे आयी थी । इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा आरोपी अरिमर्दन के साथ आरोपी नटबर व अन्य आरोपी प्रदीप के भी घटना में संलग्न होने के बारे में उसके द्वारा बताया जा रहा है । उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है । इस

प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन से भी वर्तमान आरोपी की घटना दिनांक को घटना स्थल पर अन्य सह आरोपी के साथ मौजूद होना और घटना में सक्रिय रूप से भाग लिये जाने की पुष्टि होती है ।

11. इस संबंध में यद्यपि सत्य है कि आहता का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है किन्तु साधारण उपहति प्रमाणित करने हेतु किसी चिकित्सीय साक्ष्य से उसकी पुष्टि होनी आवश्यक नहीं है । घटना जिसमें कि आहत भूपेन्द्र जैन एवं गुलाबचन्द्र जैन लात मुक्को से मारपीट कर साधारण चोट आना बताया जा रही है जो कि इस बिन्दु पर उक्त साक्षियों के अखण्डनीय साक्ष्य है । इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि उनका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है इस संबंध में विपरीत अवधारणा करने का आधार नहीं हो सकता ।

12. बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि फरियादी और आहतगण आपस में रिश्तेदार हैं उनके कथन विश्वास योग्य नहीं माने जा सकते । यद्यपि यह सत्य है कि फरियादी व आहत एवं अन्य साक्षी आपस में रिश्तेदार हैं किन्तु मात्र इस आधार पर कि वह आपस में रिश्तेदार हैं उनके सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता ।

13. इस प्रकार प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटनपादिनांक को वर्तमान अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा घटना दिनांक को आहत भूपेन्द्र और गुलाबचन्द्र को मारपीट की घटना की जाकर उसे उपहति कारित की गयी जो कि उक्त घटना स्वेच्छया कार्य करते हुये उनके द्वारा की गयी । ऐसी दशा में आरोपी अरिमर्दन के विरुद्ध धारा 323 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप की प्रमाणिकता सिद्ध पायी जाती है । इस संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य पर उचित रूप से विचार में लेते हुये आरोपी के विरुद्ध धारा 323 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्धी होनी प्रमाणित पायी गयी है । अधीनस्थ न्यायालय का दोषसिद्धी आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने अथवा फेरबदल न करने का कोई आधार न होने से दोषसिद्धी की पुष्टि की जाती है ।

14. अपीलार्थी/आरोपी नटबर के अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह स्पष्ट किया है कि आरोपी के द्वारा प्रकरण में दण्ड पूर्व में भुगता जा चुका है । ऐसी दशा में आरोपी पर अधिरोपित अर्थदण्ड के बिन्दु पर ही मुख्य रूप से उनकी अपील है । इस संबंध में विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आरोपी नटबर को धारा 323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोष सिद्ध ठहराते हुये एक माह के सश्रम कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में दिया गया दण्डादेश एक माह का सश्रम कारावास आरोपी को भुगताया जा चुका है । अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अत्यधिक होनी नहीं कही जा सकती । ऐसी दशा में इस बिन्दु पर अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा अर्थदण्ड की राशि समाप्त किये जाने के संबंध में किया गया अनुरोध मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक

24-12-10 को अपास्त करने और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है ।

15. फलतः आरोपी नटवर के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान दाण्डिक अपील उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में निरस्त की जाती है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपी नटवर निर्णय के अनुसार सजा पूर्व में ही भुगत चुका है इस कारण पृथक से सजा भुगताया जाना आवश्यक नहीं है । निर्णय की प्रति सहित अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड